# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 30/2025 FSSA

1.सरकार जरिये प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, दौसा।

आवेदक—

बनाम

1. श्री अमित वर्मा पुत्र श्री प्रकाश चंद वर्मा (मालिक) निवासी राम नगर कॉलोनी, बांदीकुई मैसर्स कृष्ण एलाइंस, गुढ़ा रोड राम मंदिर के सामने बांदीकुई दौसा (राज०)।

— अभियुक्त—

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

दिनांकः—18.03.2026

—::आदेश::—

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2024 को अपराहन बाद 02.05 बजे मैसर्स कृष्ण एलाइंस, गुढा रोड राम मंदिर के सामने बांदीकुई दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अमित वर्मा पुत्र श्री प्रेमचंद वर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय मैसर्स कृष्ण एलाइंस, गुढ़ा रोड राम मंदिर के सामने बांदीकुई पर रैक में मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) 20 बोतल 500 ग्राम पैकिंग में आम जनता को विक्रय किया जा रहा था, में मिलावट का शक होने पर रैक में से नमूने की जाँच हेतु मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) की 4 बोतल खरीदी, जिसकी कीमत 1000 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की। नमूने के लिए खरीदशुदा 4 बोतल 500 ग्राम प्रति मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) उक्त चार नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनो पर चिपकाकर नमूनो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG—4519 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बाँधकर नमूनो को चार—चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर नमूनो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फॉर्म नंबर 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी 01 प्रति एफबीओ (विक्रेता) को देकर उसकी रसीद फॉर्म नंबर 05 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द भाग व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.10.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द भाग व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.10.2024

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/4343/एक्ट/2024/4199 दिनांक 04.11.2024 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) का पाया पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। उक्त जॉच रिपोर्ट की प्रति विक्रेता श्री अमित वर्मा को कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2024/503 दिनांक 19.11.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भिजवाई गई। विक्रेता श्री अमित वर्मा ने उक्त मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) के नमूने की रेफरल लेबोरेटरी से पुनः जांच के लिए आवेदन प्रपत्र–8 में किया एवं पुनः जांच शुल्क के लिए 4500/–रूपये का बैंक ड्राफ्ट नं. 545095 एवं पैकिंग सामग्री प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मु०चि०एवं स्वा० अधिकारी ने मेमोरेण्डम पत्रांक एफएसएसए/2024/562 दिनांक 02.12.2024 द्वारा उक्त ड्राफ्ट एवं नमूने का द्वितीय भाग पुनः जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया। उक्त मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) के नमूने की रैफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से प्राप्त पुनः जांच रिपोर्ट कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/235 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा विक्रेता श्री अमित वर्मा को भिजवायी गई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानक स्तर के अनुसार नहीं होने से (Under Section 3(1) (zx) & 3 (1) (zf ) of FS&S Act 2006) अमानक (Substandard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की पुन जॉच रिपोर्ट सं० 1533 F/FSSA/2024 दिनांक 12.02.2025 के अनुसार अमानक (Substandard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) Under Section 3(1) (zx) & 3 (1) (zf ) of FS&S Act 2006) 2006 का पाया गया। अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एवं धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/4343/एक्ट/2024/4199 दिनांक 04.11.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) के नमूने की जांच में Acid value FSSA MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.0009:2021:2021 Result 7.45 आयी है। जो निर्धारित मानकों के अनुसार 6.0 से अधिक नही होनी चाहिए। इस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है तथा निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की जांच रिपोर्ट सं० 1533 F/FSSA/2024 दिनांक 12.02.2025 के अनुसार Saponification value 185.20 पायी गयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार 188 से 196 के मध्य होनी चाहिए व Unsaponifiable matter % by wt 3.32 पायी गयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार 1.0 से अधिक नही होना चाहिए। इसलिए उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक स्तर का एवं उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के लेबल पर FSSAI License no. नही लिखा गया है। जो Food safety and standards (Labeling and display ) regulation 2020 का उल्लंघन होने के कारण मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (Substandard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर के खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः धारा 51 एवं 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्याः 30/2025 FSSA

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के उत्पादन में **Food safety and standards act 2006** में वर्णित प्रावधानों की सख्ती से पालना की जाती है। और प्रार्थी पास **Food safety and standards act 2006** के तहत वैध लाईसेंस है। यदि उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में कोई कमी पायी गयी है तो वह तकनीकी त्रुटी के कारण आयी है। प्रार्थी का उपभोक्ता को धोखा देने का कोई इरादा नही था। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया उचित राहत प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/4343/एक्ट/2024/4199 दिनांक 04.11.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) का नमूना अमानक (Substandard) स्तर का एवं निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की जांच रिपोर्ट सं० 1533 F/FSSA/2024 दिनांक 12.02. 2025 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) अमानक स्तर (Substandard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) का होना पाया गया है जिसका विक्रय करने से एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एवं 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर एवं मिथ्याछाप (Misbranded) का खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल ब्राण्ड एक्सपर्ट (GroundNut Oil Brand Expert) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी श्री अमित वर्मा पुत्र श्री प्रकाश चंद वर्मा (मालिक) निवासी राम नगर कॉलोनी, बांदीकुई मैसर्स कृष्व एलाइंस, गुढ़ा रोड राम मंदिर के सामने बांदीकुई दौसा (राज०) पर 5,000/–रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 18.03.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/26
( अरविन्द शर्मा )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

दिनांकः– 18 .03.2026

क्रमांकः FSSA/26/582-84

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अमित वर्मा पुत्र श्री प्रकाश चंद वर्मा (मालिक) निवासी राम नगर कॉलोनी, बांदीकुई मैसर्स कृष्व एलाइंस, गुढ़ा रोड राम मंदिर के सामने बांदीकुई दौसा (राज०)।

18/3/26
( अरविन्द शर्मा )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा